

## राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-2/स्वै.से./एन-1200/2017/

दिनांक:

### आदेश

श्रीमती निशिकान्ता सरकार, नर्स-2; प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, पावटा, जोधपुर, जिनकी जन्म तिथि 24.11.1966 एवं राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 29.09.1993 है को उनकी स्वयं के प्रार्थना पर राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 नियम 50 (1) में उपलब्ध प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 01.08.2017 को राज्य सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है। इनका स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिवस अकार्य दिवस माना जावेगा।

कार्यिका के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।

-sd-

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-2/स्वै.से./एन-1200/2017/ 449

दिनांक: 4/7/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके आई डी क्रमांक 768/एम/एमएण्डएच/17 दिनांक 06.06.2017 के संदर्भ में।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर को उनके आई.डी. क्रमांक 61/एम ओ एस/एम एण्ड एच/17 दिनांक 30.05.2017 के संदर्भ में।
3. निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर को उनके आई.डी. क्रमांक 2924/एम एण्ड एच/2017 दिनांक 06.06.2017 के संदर्भ में।
4. संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग राजस्थान जयपुर को उनके आई.डी क्रमांक 780 दिनांक 26.05.2017 के संदर्भ में।
5. निदेशक, पेन्शन एवं पेन्शनर्स वेलफेयर विभाग, जयपुर।
6. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवम स्वास्थ्य सेवायें, जोन जोधपुर।
7. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, पावटा, जोधपुर।
8. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
9. डीपीसी अनुभाग (नर्सिंग), मुख्यालय।
10. प्रभारी सर्वर रुम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
11. आदेश/निजी पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर